न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 44 / 2019

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा एस.एफ.एस. मानसरोवर एसपी–1 साउथ एण्ड स्कवायर, रीको कांटे के सामने इण्डस्ट्रीयल ऐरिया मानसरोवर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.......प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–मै0आर.एस. ट्रेडिंग कम्पनी ,प्लॉट नम्बर 314 सीडी ब्लॉक कल्याणपुरा न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर 302020, एवं मुहाना मंडी रोड़ जयपुर 302029 एवं दुकान नं. 3 विधान सभा नगर, पत्रकार कॉलोनी के पास मुहाना मंडी रोड़ जयपुर 302029

.....अप्रार्थी. ऋणी

2–श्री राजेशपाल सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, प्लॉट नम्बर 314सीडी ब्लॉक कल्याणपुरा, न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर 302020

....प्रोपराईटर

3–श्री उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट ए–88 दादूद याल नगर, कल्याणपुरा मानसरोवर जयपुर 302020 एवं सीडी –314 द्वितीय मंजिल, दादू दयाल नगर कल्याणपुरा मानसरोवर जयपुर 302020 एवं गांव बैलारा, पंचायत खेड़ी देवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर 321602

....जमानतदार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश **दिनांक 17.12.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी. ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बावत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 29.1.2014 को प्रार्थी बैंक से 85.00 लाख रुपये बीटीएल ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने ग्रांम बैलारा ग्रांम पचांयत खेड़ी देवीसिह तहसील नदबई स्थित अपनी अचल सम्पत्ति इन्डस्ट्रीयल भूमि, 985 वर्ग मीटर, (जिसके उत्तर में–कृषी भूमि श्री रामदयाल, दक्षिणी में रोड़, पश्चिम में– कृषी भूमि श्री किशनलाल एवं पूर्व में– भूमि श्री देवेन्द्र वैश्य है) एवं उसमें स्थापित प्लान्ट मशीनरी को प्रार्थी बैंक के हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 02.07.2019 तक 8497768.50 / – रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी. / ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 02.07.2019 को अप्रार्थी. ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे

आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी. ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 02.07.2019 अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी. ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने ग्रांम बैलारा ग्रांम पचांयत खेड़ी देवीसिह तहसील नदबई स्थित अपनी अचल सम्पत्ति इन्डस्ट्रीयल भूमि, 985 वर्ग मीटर, (जिसके उत्तर में–कृषी भूमि श्री रामदयाल, दक्षिणी में रोड़, पश्चिम में– कृषी भूमि श्री किशनलाल एवं पूर्व में– भूमि श्री देवेन्द्र वैश्य है) एवं उसमें स्थापित प्लान्ट मशीनरी को को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: